राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018, फोन– 0141–2552796

क्रमांकःप.14(76) (2)RSSB/अर्थना/एन.टी.टी./भर्ती/2018/168 | दिनांकः 7/2/2020

–:: विज्ञप्ति ::–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती–2018 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की नवीन चतुर्थ श्रेणी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने बाबत

बोर्ड द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती–2018 में संबंधित विभाग से प्राप्त अर्थना के अनुसार विज्ञापित पदों के अनुरूप दिव्यांगजनों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। विभाग से दिव्यांगजन के संबंध में 4 प्रतिशत आरक्षण सहित संशोधित अर्थना के अनुरूप दिव्यांगजन की नवीन चतुर्थ श्रेणी MI/MD (**Mental Illness/Multiple Disorders**) {1. ऑटिज्म, बौद्धिक निशक्तता, लर्निंग निशक्तता एवं मानसिक रूग्णता तथा 2. बहुविकलांगता अर्थात् दिव्यांगता की एक से अधिक श्रेणी} उपलब्ध होने पर इनका दस्तावेज सत्यापन कराए जाने हेतु अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। इस हेतु पूर्व में जिन दिव्यांगजन ने उक्त भर्ती परीक्षा में आवेदन किया है, उनमें से दिव्यांगजन की नवीन चतुर्थ श्रेणी में होने पर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती–2018 में पूर्व में आवेदन कर चुके दिव्यांग अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे कार्मिक(क–2) विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2019 को जारी परिपत्र कमांक पं. 7(2)कार्मिक/क–2/2019 में परिभाषित नवीन चतुर्थ श्रेणी **MI/MD (Mental Illness/Multiple Disorders)** {1. ऑटिज्म, बौद्धिक निशक्तता, लर्निंग निशक्तता एवं मानसिक रूग्णता तथा 2. बहुविकलांगता अर्थात् दिव्यांगता की एक से अधिक श्रेणी} में आते हैं तो **दिनांक 11.02.2020 से दिनांक 18.02.2020 तक अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र मय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि बोर्ड कार्यालय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर** में जमा करवा दें। उक्त अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर इन अभ्यर्थियों का पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के पद पर चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। **पूर्वकालिक दोनों श्रेणियों (LD/CP, B/LV) के जिन अभ्यर्थियों ने अपने दिव्यांगता परीक्षा आवेदन भरते समय आवेदन में अंकित कर दी थी, उन्हें पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।** अधिक जानकारी के लिए कृपया बोर्ड की वेबसाईट http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहे।

(डॉ. मुकुट बी. जांगिड़)
सचिव